फैक्स/सर्वोच्च प्राथमिकता
डीजी परिपत्र संख्या - 59 /2015

जगमोहन यादव

आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर-प्रदेश
1 तिलकमार्ग, लखनऊ।

दिनांकःलखनऊः अगस्त 07 ,2015

विषय : हर्ष फायरिंग एवं अवैध शस्त्रों के प्रदर्शन की रोकथाम हेतु निर्देश ।

महोदय,

आप अवगत है कि शस्त्रों का अनुचित प्रयोग, प्रदर्शन आयुध अधिनियम में प्रतिबंधित हैं, किन्तु जनपदों में हर्ष फायरिंग एवं शस्त्रों के खुलेआम प्रदर्शन की अनेक घटनायें सामने आयीं हैं। हर्ष फायरिंग से निर्दोष लोगों की मृत्यु एवं घायल होने की घटनायें घटित होती हैं तो शस्त्रों के खुलेआम प्रदर्शन से (विशेष कर वाहनों में बैठ कर शस्त्रों को लहराते हुए जाना) जनता में दहशत का माहौल व्याप्त होता है। इसी तरह जनपदों में अनेक घटनायें सामने आई हैं जिनमें अवैध असलहों का प्रयोग होना पाया गया है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि शस्त्रों के अनुचित प्रयोग एवं अवैध असलहों पर जनपदीय पुलिस का नियंत्रण समाप्त सा हो गया है ।

2- शस्त्रों के प्रदर्शन एवं हर्ष फायरिंग की घटनाओं को रोकने के लिए समय-समय पर इस मुख्यालय द्वारा पार्श्वांकित परिपत्र निर्गत किये गये हैं। शासन स्तर से भी पत्र संख्याः 34/02/आर/छ-पु-5-01 (15/2001 दिनॉकः 19-05-2001 एवं पत्र संख्याः 7/रिट-2014/ठ-पु-5-2014-रिट-401/2012 दि0 29-12-2014 को समस्त जिला मजिस्ट्रेट, समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0 को विस्तृत दिशा-निर्देश प्रेषित किये गये हैं, जो वेबसाइट पर उपलब्ध हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि निर्देशों के बाद भी हर्ष फायरिंग की घटनाओं को रोकने एवं शस्त्रों के सार्वजनिक प्रदर्शन पर नियंत्रण हेतु प्रभावी कार्यवाही जनपदों द्वारा नहीं की जा रही है ।

परिपत्र संख्याः 20/04	**दिनॉकः 05-09-2004**
परिपत्र संख्याः18/06	**दिनॉकः 08-06-2006**
परिपत्र संख्याः26/08	**दिनॉकः 03-03-2008**

3- इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इस सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्देश निर्गत किये जा रहे हैं, जिनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए :-

1. लाइसेन्सी शस्त्र का उपयोग अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा के अतिरिक्त अन्य कार्यों यथा वाहनों में बैठ कर शस्त्रों का खुलेआम प्रदर्शन/लहराना, दहशत फैलाना जैसे कार्यों में पाया जाए तो उसके विरूद्ध शस्त्र लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन के आरोप में तथा आयुध अधिनियम 1959 की धारा-17 के प्राविधानों के अधीन तत्काल शस्त्रों को कब्जे में लेकर लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाए एवं अभियोग पंजीकृत किया जाए ।
2. शस्त्रों से सार्वजनिक/भीड़भाड़ वाले स्थानों पर हवाई फायरिंग शस्त्र अधिनियम का उल्लंघन है और आपराधिक कृत्य है । इस बात का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये ताकि ऐसी गतिविधियॉ स्वतः रोकने में सहायता मिल सके । इस प्रकार की घटनाओं के रोकथाम हेतु रायफल क्लब, अस्त्र शस्त्र की दुकानों, शादी विवाह समारोह स्थल, मैरिल हाल, कम्युनिटी सेन्टर, के प्रबन्धकों/स्वामियों को हर्ष फायरिंग से होने वाली क्षति को अवगत कराते हुए प्रेरित करें कि वह अपने इन स्थलों पर एक सूचना पट्ट पर स्पष्ट रूप से अंकित करें कि "जो व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र का दुरूपयोग हवाई फायरिंग आदि करेगा तो उसके विरूद्ध विधिक कार्यवाही होगी।"
3. जहॉ पर शादी विवाह, प्रदर्शन, समारोह आदि में अस्त्र-शस्त्र के दुरूपयोग, हर्ष फायरिंग, प्रदर्शन की सूचना मिले तो तत्काल पुलिस बल भेज कर चेक करायें । शस्त्र अधिनियम की धारा 17 के अन्तर्गत शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण सम्बन्धी कार्यवाही की जाए। हत्या/मृत्यु कारित होने पर परिस्थितियों के अनुसार धारा 302/304 भा0द0वि0 का अभियोग पंजीकृत कर शीघ्र गिरफ्तारी, असलहा जब्त करना आदि वैधानिक कार्यवाही एवं दुरूपयोग करने वाले लाइसेंसी के विरूद्ध कार्यवाही करें ।

4. आर्म्स फ्री जोन (Arms Free Zone जो शासनादेश संख्याः 7/रिट-2014/छ-पु-5-2014-रिट-401/2012 दिनॉकः 29-12-2014 में परिभाषित हैं) में यदि कोई व्यक्ति, अस्त्र-शस्त्र लिये पाया जाता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करें । यदि आवश्यक हो तो जिला मजिस्ट्रेट से विचार-विमर्श कर अन्य स्थलों पर भी 144 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत शस्त्रों के दुरूपयोग को प्रतिबन्धित करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जाए ।

5. अवैध असलहों की बरामदगी हेतु व्यापक अभियान चलाया जाए। इस हेतु पूर्व में अवैध असलहों की फैक्ट्रियों के धन्धे में लिप्त व्यक्तियों की गहनता से निगरानी व चेकिंग की जाए। अवैध असलहों की बरामदगी हेतु नियमित रूप से जनपदों में चेकिंग अभियान चलाया जाए ।

6. हर्ष फायरिंग की ऐसी घटनाओं जिसमें किसी की मृत्यु हुई हो, उसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए घटना स्थल का निरीक्षण जनपदीय प्रभारी/उच्चाधिकारियों द्वारा किया जाए । जहॉ हर्ष फायरिंग में कोई व्यक्ति घायल हुआ हो, उस घटना स्थल का निरीक्षण थानाध्यक्ष के अतिरिक्त क्षेत्राधिकारी द्वारा करते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी, घटना में प्रयुक्त शस्त्रों की बरामदगी तथा लाइसेंसी शस्त्रों के निलम्बन हेतु तत्काल कार्यवाही की जाए ।

7. यदि किसी थानाक्षेत्र में पूर्व में सूचित जुलूस/समारोह/आंदोलन आदि में हर्ष फायरिंग में मृत्यु अथवा घायल होने की घटना होती है तो सम्बन्धित बीट कान्सटेबल, हलका प्रभारी, थानाध्यक्ष एवं क्षेत्राधिकारी की जिम्मेदारी निर्धारित की जाए एवं जॉच कर दण्डात्मक कार्यवाही की जाए ।

4- <u>हर्ष फायरिंग एवं अवैध शस्त्रों के प्रदर्शन की घटनाओं की समीक्षाः-</u>

अर्दली रूम के दौरान क्षेत्राधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हर्ष फायरिंग एवं असलहों के प्रदर्शन से संबंधित पंजीकृत सभी अभियोगों की गहराई से समीक्षा करेंगे। पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मासिक अपराध गोष्ठी में हर्ष फायरिंग के दौरान हुई हत्या/चोट, लाइसेंसी शस्त्रों के अवैध प्रदर्शन में गिरफतारी, अभियोग की प्रगति, लाइसेन्स निलम्बन/निरस्तीकरण, निलम्बित/निरस्तीकृत शस्त्रों के जमा होने की स्थिति की समीक्षा करेंगें। इसी प्रकार अवैध असलहो के प्रयोग, प्रदर्शन तथा अभियोगो की प्रगति की भी समीक्षा करेंगें। सभी परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक एवं जोनल पुलिस महानिरीक्षक जनपद के भ्रमण के दौरान जनपदों द्वारा इस संदर्भ में कृत कार्यवाही का अनुश्रवण भी करेंगे ।

5- जोनल पुलिस महानिरीक्षक हर्ष फायरिंग की घटनाओं, शस्त्रों के खुलेआम प्रदर्शन एवं अवैध असलहों के विरूद्ध कृत कार्यवाही की समीक्षा संलग्न प्रारूप में करते हुए त्रैमासिक आख्या इस मुख्यालय को प्रेषित करेंगे ।

<u>संलग्नकः प्रारूप</u> ।

भवदीय,

(जगमोहन यादव) 5/8/15

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
<u>प्रभारी जनपद, उ0प्र0</u>

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. पुलिस महानिदेशक, सी0बी0सी0आई0डी0, उ0प्र0 लखनऊ।
2. पुलिस महानिदेशक, अभियोजन, उ0प्र0 लखनऊ।
3. पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, उ0प्र0 लखनऊ।
4. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था, उ0प्र0 लखनऊ।
5. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
6. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।

प्रारूप-1 हर्ष फायरिंग एवं अवैध शस्त्रों से घटित घटनाओं का त्रैमासिक विवरण

जोन	परिक्षेत्र	जनपद	हर्ष फायरिंग में घटित घटना की कुल संख्या	हर्ष फायरिंग में घायल हुए व्यक्तियों की कुल संख्या	हर्ष फायरिंग में मारे गये व्यक्तियों की कुल संख्या	पंजीकृत अभियोगों की कुल संख्या	खारिज किये गये	अभियोग जिनकी विवेचना की गयी	अभियुक्तों का विवरण			अभियुक्तों के विरूद्ध कृत कार्यवाही			विवेचनात्मक प्रगति			शस्त्र जो निलम्बित कराये गये की संख्या	शस्त्र जो निरस्त कराये गये की संख्या	शस्त्र जो जमा कराये गये की संख्या
									कुल अभियुक्त	गत पाये गये	वास्तविक अभियुक्त	गिरफ्तार	हा0अ0	शेष	सीएस	एफआर	पीआई			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	15	16	17	18	19	20	21	22

प्रारूप- 2 खुलेआम शस्त्रों का प्रदर्शन/लहराना, दहशत फैलाने जैसे कार्यो में लिप्त पाये जाने वालों के विरूद्ध कृत कार्यवाही का विवरण

जोन	परिक्षेत्र	जनपद	खुलेआम शस्त्रों का प्रदर्शन/लहराना, दहशत फैलाने जैसे कार्यो में लिप्त पाये जाने वालों के विरूद्ध पंजीकृत अभियोगों की कुल संख्या	खारिज किये गये	अभियोग जिनकी विवेचना की गयी	अभियुक्तों का विवरण			अभियुक्तों के विरूद्ध कृत कार्यवाही			विवेचनात्मक प्रगति			शस्त्र जो निलम्बित कराये गये की संख्या	शस्त्र जो निरस्त कराये गये की संख्या	शस्त्र जो जमा कराये गये की संख्या
						कुल अभियुक्त	गत पाये गये	वास्तविक अभियुक्त	गिरफ्तार	धा0आ0	शेष	सीएस	एफआर	पीआई			
1	2	3	4	5	6	7.	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18